प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>
<u>रिट याचिका (सेवा) संख्या 6796 वर्ष 2009</u>

<u>याचिकाकर्तागण</u>	डॉ. संजय दवे एवं अन्य
	बनाम
<u>उत्तरवादीगण</u>	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट याचिका)
एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री,

उपस्थित:-
याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री जितेन्द्र पाली, अधिवक्ता।
उत्तरवादीगण की ओर से : श्री ए.वी. श्रीधर, पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश (मौखिक)</u>
(19 नवम्बर, 2009 को पारित)

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के अनुमोदन से, याचिका की अंतिम रूप से सुनवाई की जाती है।

2. याचिकाकर्ता, जो वर्तमान में अनुबंध के आधार पर चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं, इस याचिका के माध्यम से मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुतोष चाहते हैं:

> "उत्तरवादी राज्य को उमा देवी [(2006) 4 **SCC** 1] के निर्णय के कंडिका 53 के अंतर्गत याचिकाकर्तागण के मामले में नियमितीकरण पर विचार करने का निर्देश देने की कृपा करें।
>
> उत्तरवादी राज्य को यह निर्देश देने की कृपा करें कि वह याचिकाकर्तागण को आयु में छूट प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करे, जैसा कि राज्य में जनगणना कार्यकर्ता, पंचायत कर्मियों और शिक्षा कर्मियों को दी जा रही है।"

3. याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद तथ्य संक्षेप में, यह है कि प्रारंभ में याचिकाकर्तागण को दिनांक 27-4-1998, 27-4-1998, 26-6-1994, 31-1-2002, 22-7-2002, 2-3-2001 के आदेशों द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, जैसा कि अनुलग्नक - पी/1 से स्पष्ट है। इसके बाद, याचिकाकर्तागण की अनुबंध अवधि समय-समय पर 2 या 3 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। याचिकाकर्ता वर्तमान में अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2005 में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "पीएससी") ने चिकित्सा अधिकारियों के पद पर चयन/नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए। उसी विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओ ने भी आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन पत्रों को अधिक आयु के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया, जैसा कि अस्वीकृति पत्र दिनांक 13-9-2005 (अनुबंध-पी/5) से स्पष्ट है। इसके बाद याचिकाकर्तागण ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए उत्तरवादी अधिकारियो के समक्ष कई अभ्यावेदन दिए। अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद उत्तरवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्तागण की सेवाओं को नियमित करने की कार्यवाही प्रारंभ की, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश राज्य ने आदेश दिनांक 31-12-2005 (अनुबंध-पी/9) द्वारा उस राज्य में अनुबंधित नियुक्तियों (चिकित्सकों) की सेवाओं को नियमित किया और उसी आदेश के आधार पर, यहां के याचिकाकर्ताओ ने भी दिनांक 18-10-2007 को एक अभ्यावेदन दिया। उस अभ्यावेदन पर उत्तरवादी अधिकारियों ने कार्रवाई प्रारंभ की, लेकिन वह कारगर नहीं हुई। इसी बीच, पीएससी ने दिनांक 29-5-2008 को 1200 पदों के लिए पुनः विज्ञापन जारी किया, लेकिन याचिकाकर्ता अधिक आयु के कारण उक्त चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। उक्त चयन प्रक्रिया में केवल 324 उम्मीदवारों का चयन किया गया। वे सभी चयनित उम्मीदवार, समान योग्यता रखने वाले, याचिकाकर्ताओ से कनिष्ठ हैं। इस प्रकार, यह याचिका प्रस्तुत की गयी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पाली का तर्क है कि याचिकाकर्तागण ने छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कई वर्षों तक सेवा दी है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त जरूरत है। केवल अधिक आयु के आधार पर अनुभवी डॉक्टरों को अयोग्य ठहराने की राज्य की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 का उल्लंघन होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के पास राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए योग्य डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि उत्तरवादी-अधिकारियों की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के प्रावधानों के विरुद्ध है। विद्वान अधिवक्ता अगला तर्क देते हैं कि उत्तरवादी-अधिकारियों ने शिक्षा कर्मियों, पंचायत कर्मियों और जनगणना कर्मचारियों को आयु में छूट का लाभ दिया है; इसलिए, वर्तमान याचिकाकर्ताओ के मामले में भी इसी तरह का लाभ दिया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों **डॉ. अमी लाल भट्ट बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य** [1] **, सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी (3) एवं अन्य** [2] तथा **मिनरल**

एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन एम्प्लाइज यूनियन बनाम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य [3] का अवलेख लिया है।

5. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है, अभिवचनो और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. अनुच्छेद 47, भारत के संविधान के भाग **IV** में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक है। अनुच्छेद 47 राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है कि वह पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करे तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करे।

7. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु अनुच्छेद 47 में निहित नीति निदेशक तत्वों के आधार पर याचिकाकर्तागण को आयु में छूट का लाभ देने का निर्देश राज्य प्राधिकारियों को दिया जाए, नामंजूर किए जाने योग्य पाया गया है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नीति निदेशक तत्व किसी रिट जारी करके लागू करने योग्य नहीं हैं, जैसा कि अनुच्छेद 37 के स्वयं के प्रावधानों से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि इस भाग (भाग **IV**) में निभिन्न प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं होंगे, किंतु उनमें अंतर्निहित सिद्धांत देश के शासन में मुलभुत नियम हैं और इन सिद्धांतों को विधि बनाने में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार, अनुच्छेद 47 एक ऐसे सिद्धांत का प्रावधान करता है, जो राज्य सरकार को विधि बनाने में मार्गदर्शन कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. **मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** [4]**,** में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया:

> **"**106 .... नीति निदेशक तत्वों में निहित सामाजिक और आर्थिक अधिकार तथा अन्य मामले, अपने स्वभाव से ही, न्यायिक रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, इनमें से कई अधिकारों का कार्यान्वयन देश के आर्थिक विकास की स्थिति, आवश्यक वित्त की उपलब्धता और उद्देश्यों एवं मूल्यों की प्राथमिकता के शासकीय आकलन पर निर्भर करेगा, और इसीलिए उन्हें न्यायिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। किंतु केवल नीति निदेशक तत्वों के न्यायिक रूप से लागू ना होने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वे किसी भी तरह से मुलभुत नियमो के अधीन या निम्नस्तरीय हैं।**"**

---

[1] (1997) 6 **SCC** 614

[2] (2006) 4 **SCC** 1

[3] (2006) 6 **SCC** 310

9. उच्चतम न्यायालय ने **वी. मार्कैंदय्या एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य**[5] में निम्नलिखित अवधारित किया :

> "9. संविधान के भाग **IV** में निहित अनुच्छेद 39(घ), राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अपनी नीति पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करे। राज्य के नीति निदेशक तत्वों वाले अध्याय में निहित प्रावधानों को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, हालाँकि उनमें निहित सिद्धांत हमारे देश के शासन के लिए मौलिक प्रकृति के हैं। न्यायालय के पास यह निर्देश देने की शक्ति नहीं है कि विधानमंडल संविधान के भाग **IV** में निहित नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाए या विधानमंडल को ऐसा कोई विधि बनाने से रोके....."

10. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सभी आधारों पर उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा **उमादेवी (पूर्वोक्त)** मामले में विचार किया जा चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **उमादेवी (पूर्वोक्त)** मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया:

> **"**12 ..... केंद्र या राज्य सरकार के इस अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए और संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्थायी रूप से या दैनिक वेतन पर व्यक्तियों को नियुक्त करने पर रोक लगाता हो। लेकिन इस तथ्य का कि ऐसी नियुक्तियों का सहारा लिया जाता है, इसका उपयोग सार्वजनिक रोजगार की योजना को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। न ही कोई न्यायालय यह कह सकता है कि केंद्र या राज्य सरकारों को किसी अवधि के लिए या किसी विशेष परियोजना में काम पूरा होने तक विभिन्न क्षमताओं में व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। एक बार सरकार के इस अधिकार को मान्यता मिल जाने और सार्वजनिक रोजगार के लिए संवैधानिक आवश्यकता के अनुपालन का सम्मान हो जाने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो सकती कि आम तौर पर न्यायालयों के लिए, चाहे वे संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा कार्य कर रहे हों या संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा, उन लोगों को स्थायी रोजगार में अवशोषित करने का निर्देश देना उचित नहीं है जिन्हें संवैधानिक योजना द्वारा परिकल्पित चयन की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्त किया गया है।

---

[4] (1980) 3 **SCC** 625

[5] (1989) 3 **SCC** 191

16. ***बीएन नागराजन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में***, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि "नियमित" या "नियमितीकरण" शब्द स्थायित्व का बोध नहीं कराते हैं और इनका अर्थ नियुक्तियों की अवधि की प्रकृति का बोध कराने के लिए नहीं लगाया जा सकता। ये शब्द किसी भी प्रक्रियात्मक अनियमितता को क्षमा करने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं और केवल उन दोषों को दूर करने के लिए हैं जो नियुक्तियाँ करने में अपनाई गई कार्यप्रणाली के कारण उत्पन्न हुए हैं। इस न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत सरकार की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी नियमितीकरण अनुमेय नहीं है। इन निर्णयों और उनमें मान्यता प्राप्त सिद्धांतों से इस न्यायालय ने असहमति नहीं जताई है और सिद्धांततः, हमें उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए, हमें इस अंतर को ध्यान में रखना होगा और इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि केवल वही चीज़ नियमित की जा सकती है जो चयन प्रक्रिया के किसी एक तत्व के अनुपालन के अभाव में अनियमित है और जो प्रक्रिया की जड़ तक नहीं जाती, और केवल वही नियमितीकरण करना और रोजगार को स्थायी बनाना एक पूर्णतः भिन्न अवधारणा है और इसे नियमितीकरण के बराबर नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. हम पहले ही इस देश में सार्वजनिक रोजगार की संवैधानिक योजना का उल्लेख कर चुके हैं, और कार्यपालिका, या संबंधित मामले में न्यायालय, उचित मामलों में, केवल उस नियुक्ति को नियमित करने का अधिकार रखेगा जो उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की गई हो, भले ही उस प्रक्रिया या तरीके के किसी गौण तत्व का पालन न किया गया हो। कार्यपालिका और न्यायालय का यह अधिकार इस स्थिति तक विस्तारित नहीं होगा कि कार्यपालिका या न्यायालय यह निर्देश दे सके कि संवैधानिक योजना और उसके लिए बनाए गए वैधानिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करके की गई नियुक्ति को स्थायी माना जाए या उसे स्थायी मानने का निर्देश दिया जाए।

39. ***धारवाड़ मामले*** से प्रेरणा लेते हुए ऐसे कई फैसले आए हैं जिनमें नियुक्ति की उचित प्रक्रिया या नियमों का पालन किए बिना नियुक्त या नियोजित कर्मचारियों के नियमितीकरण, आमेलन या स्थायीकरण के निर्देश दिए गए हैं। इस दृष्टिकोण के पीछे का कारण ***वर्कमैन बनाम भुरकुंडा कोलियरी ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड*** मामले में हाल के निर्णय में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, हालाँकि इस तरह के दृष्टिकोण की वैधता की स्वतंत्र रूप से जाँच नहीं की गई है। लेकिन प्राधिकारियों के सर्वेक्षण के बाद, प्रमुख दृष्टिकोण यह पाया गया है कि

ऐसी नियुक्तियाँ नियुक्त व्यक्तियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करतीं और न्यायालय उनके अवशोषण, नियमितीकरण, पुनर्नियुक्ति, पुन:नियोजन या उन्हें स्थायी बनाने का निर्देश नहीं दे सकता।

43 ..... यदि यह संविदात्मक नियुक्ति है, तो यह नियुक्ति अनुबंध की समाप्ति पर समाप्त हो जाती है, यदि यह दैनिक वेतन या आकस्मिक आधार पर नियुक्ति है, तो यह नियुक्ति समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार, कोई अस्थायी कर्मचारी स्थायी होने का दावा नहीं कर सकता। उसकी नियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि केवल इसलिए कि किसी अस्थायी कर्मचारी या आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति की अवधि के बाद भी कुछ समय के लिए जारी रखा जाता है, वह केवल ऐसी निरंतरता के आधार पर नियमित सेवा में आमेलित या स्थायी किए जाने का हकदार नहीं होगा, यदि मूल नियुक्ति अनिर्णीत विषय द्वारा परिकल्पित चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई थी। अस्थायी कर्मचारियों, जिनकी रोजगार की अवधि समाप्त हो गई है या तदर्थ कर्मचारियों, जो अपनी नियुक्ति की प्रकृति से कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं, के कहने पर नियमित भर्ती को रोकना न्यायालय के लिए खुला नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा कार्य करने वाले उच्च न्यायालयों को आम तौर पर आमेलन, नियमितीकरण या स्थायी निरंतरता के लिए निर्देश जारी नहीं करने चाहिए, जब तक कि भर्ती स्वयं नियमित रूप से और संवैधानिक योजना के अनुसार न की गई हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

47. जब कोई व्यक्ति अस्थायी रोजगार में नियुक्त किया जाता है या संविदात्मक या आकस्मिक कर्मचारी के रूप में नियुक्ति प्राप्त करता है और यह नियुक्ति सुसंगत नियमो द्वारा मान्यता प्राप्त उचित चयन प्रक्रिया पर आधारित नहीं है, तो वह नियुक्ति के अस्थायी, आकस्मिक या संविदात्मक प्रकृति के परिणामों से अवगत होता है। ऐसा व्यक्ति पद पर स्थायी होने के लिए वैध अपेक्षा के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता है, जब पद पर नियुक्ति केवल चयन के लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन करके और संबंधित मामलों में लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जा सकती है। इसलिए, वैध अपेक्षा के सिद्धांत को अस्थायी, संविदात्मक या आकस्मिक कर्मचारियों द्वारा सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह भी नहीं माना जा सकता है कि राज्य ने इन व्यक्तियों को नियुक्त करते समय कोई वादा किया है कि या तो उन्हें वहीं बनाए रखा जाएगा जहां वे हैं या उन्हें स्थायी किया जाएगा। राज्य संवैधानिक रूप से ऐसा वादा नहीं कर सकता है। यह भी स्पष्ट है कि पद पर स्थायी किए जाने की सकारात्मक अनुतोष पाने के लिए सिद्धांत का आह्वान नहीं किया जा सकता है।

> 48 ..... दैनिक मजदूरी पर या अस्थायी रूप से या संविदा के आधार पर नियोजित लोगों को यह दावा करने का कोई मुलभुत नियम नहीं है कि उन्हें सेवा में शामिल होने का अधिकार है ..... "

12. **खनिज अन्वेषण (पूर्वोक्त)** में , याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलेख लिए जाने पर, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार और उनके तंत्र को एक बार के उपाय के रूप में ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के द्वारा नहीं और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्तियां की जाएं, जिन्हें भरा जाना आवश्यक है, उन मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी अब नियोजित किए जा रहे हैं।

13. **अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ और अन्य**[6] में उच्चतम न्यायालय **ने** निम्नलिखित अवधारित किया :

> "34. यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहाँ नियुक्ति अनियमित थी। यदि कोई नियुक्ति अनियमित है, तो उसे नियमित किया जा सकता है। न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के अर्थ में किसी अनियमितता को गंभीरता से नहीं ले सकता। लेकिन यदि कोई नियुक्ति अवैध है, तो वह विधि की दृष्टि में अमान्य है , जिससे नियुक्ति अमान्य हो जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. याचिकाकर्तागण की नियुक्ति निश्चित अवधि के लिए थी और इसलिए, संविदा डॉक्टरों को स्थायीकरण देना उचित नहीं है, क्योंकि मामले के तथ्य अलग हैं। **खनिज अन्वेषण (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय** ने उन व्यक्तियों को नियमित करने का निर्देश दिया था जिनकी नियुक्तियाँ अनियमित थीं, अवैध नहीं।

15. **ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाम दयानंद एवं अन्य**[7] मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया :

> **"**59. पदों का सृजन और उन्मूलन, कैडरों का गठन और पुनर्गठन/संरचना, भर्ती के स्रोत और तरीके तथा योग्यताएं एवं चयन के मानदंड निर्धारित करना आदि ऐसे मामले हैं जो नियोक्ता के विशेष क्षेत्राधिकार में आते हैं। हालाँकि नियोक्ता द्वारा पदों या कैडरों के सृजन या उन्मूलन अथवा भर्ती के स्रोत या तरीके और योग्यताएं आदि निर्धारित करने के निर्णय न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित नहीं हैं, न्यायालय नियोक्ता द्वारा विवेक के प्रयोग के साथ छेड़छाड़ करने में सदैव अत्यंत सतर्कता बरतेगा। न्यायालय नियोक्ता के निर्णय के ऊपर अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके यह आदेश नहीं दे सकता कि कोई विशेष पद या निश्चित संख्या में पद सृजित किए जाएँ या भर्ती

के किसी विशेष तरीके से भरे जाएँ। ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल तभी प्रयोग की जा सकती है जब यह दर्शित किया जाए कि नियोक्ता की कार्रवाई किसी संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान के विपरीत है या स्पष्ट रूप से मनमानी है अथवा दुर्भावना से दूषित है।

65. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्या उच्च न्यायालय एक परमादेश जारी कर राज्य और उसकी एजेंसियों/इकाइयों को अस्थायी/तदर्थ/दैनिक वेतन भोगी/अनियत/अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए बाध्य कर सकता है और क्या सार्वजनिक नियोक्ता को विभिन्न मोड के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों, जिनकी सेवा की शर्तें और भुगतान के स्रोत भिन्न-भिन्न हैं, को समान वेतनमान निर्धारित करने या देने का निर्देश जारी किया जा सकता है, ये प्रश्न कई मामलों में बहस और न्यायनिर्णयन का विषय बन गए हैं।

75. अनुच्छेद 141 के आधार पर, ***कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (3)*** में संविधान पीठ का निर्णय इस न्यायालय सहित सभी न्यायालयों पर उस समय तक बाध्यकारी है जब तक कि इसे किसी वृहत पीठ द्वारा अपास्त नहीं कर दिया जाता है। संविधान पीठ के निर्णय के कारण को विभिन्न दो-न्यायाधीशों वाली पीठों द्वारा तदर्थ/अस्थायी/दैनिक वेतन भोगी/अनियत कर्मचारियों द्वारा सेवा के नियमितीकरण के दावे को स्वीकार करने से इनकार करने या ऐसे कर्मचारियों को अनुतोष प्रदान करने वाले उच्च न्यायालय के आदेशों को पलटने के लिए अपनाया गया है - ***इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम कर्मचारी, गंगाधर पिल्लई बनाम सीमेंस लिमिटेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम एल. वी. सुब्रमण्येश्वरा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम दान बहादुर सिंह*** । हालाँकि, ***उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पूरन चंद्र पांडेय*** के मामले में, जिस पर श्री गुप्ता ने भरोसा जताया है, एक दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने यह सुझाव देकर संविधान पीठ के निर्णय को कमजोर करने का प्रयास किया है कि उक्त निर्णय उस मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है जहाँ संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर नियमितीकरण मांगा गया हो और कि यह मनेका गांधी बनाम भारत संघ के सात-न्यायाधीशों वाली पीठ के निर्णय के विरुद्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय राज्य सरकार को विधि बनाने या विधि के प्रावधानों से परे कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकता है, यदि आयु में छूट का कोई प्रावधान नहीं है, तो न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

---

[6] { (2007) 4 **SCC** 54 } [7] (2008) 1**O SCC** 1

17. मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 (*संक्षेप में "नियम, 1988"*) के नियम 8 के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्थायी शासकीय कर्मचारी, छंटनी किए गए शासकीय कर्मचारी, पूर्व-सैनिक, मद्रास सिविल इकाई के पूर्व-कर्मियों, (सैन्य और सिविल) अधिकारियों और छह महीने से अधिक कार्य करने के बाद सेवामुक्त किए गए अधिकारियों के मामले में आयु में छूट का प्रावधान है। अनुबंध के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों के मामले में आयु में छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

18. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत **डॉ. अमी लाल भाट (पूर्वोक्त)** मामले में, उच्चतम न्यायालय राजस्थान मेडिकल सर्विसेज (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम, 1962 के प्रावधानों पर विचार कर रहा था, जिसके नियम 11 का परंतुक विशेष मामलों में आयोग से परामर्श करके सरकार द्वारा 5 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने का प्रावधान करता है। नियम, 1988 में नियम, 1962 के नियम 11 के परंतुक जैसा कोई प्रावधान नहीं है और इस प्रकार, वर्तमान याचिकाकर्तागण के मामले में आयु छूट प्रदान करने के संबंध में उत्तरवादी-अधिकारियों को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उच्चतम न्यायालय ने **केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं अन्य बनाम सजल कुमार रॉय एवं अन्य**[8] मामले में कहा कि नियमों का पालन करने की आवश्यकताओं को निष्पक्ष और उचित ढंग से पूरा करना आवश्यक है। नियुक्ति समिति/चयन समिति नियमों से बंधी होती हैं। विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नियमों में प्रदत्त आयु छूट के लिए और उनकी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है।

20. **तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बनाम के. जोथीश्वर पिल्लई (मृत) एलआरएस एवं अन्य** [9] मामले में , उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया:

> 7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को मुख्यतः इस आधार पर स्वीकार किया कि दो पूर्व अवसरों पर अपीलार्थी ने आयु और योग्यताओं में छूट दी थी और उच्च न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी कि ऐसा विवेक संबंधित कर्मचारियों, अर्थात रिट याचिकाकर्तागण, के पक्ष में अपीलार्थी द्वारा क्यों नहीं दिखाया जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी कुछ शासकीय आदेशों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिकाकर्ता 5 आयु-सीमा की आवश्यकता से छूट के हकदार हैं या नहीं, इस पर विचार करने के लिए अपीलार्थी को एक परमादेश जारी किया जाए।"
>
> 8. हमारे विचार में, रिट याचिका को स्वीकार करने के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण विधि की दृष्टि से पूर्णतः अतर्कसंगत

हैं। केवल इस आधार पर कि दो पूर्व अवसरों पर अपीलार्थी ने कुछ कर्मचारियों के संबंध में पात्रता मानदंड से छूट दी थी, रिट याचिकाकर्तागण को अनुतोष प्रदान करने का आधार नहीं बन सकता। यहां तक कि यदि अतीत में कुछ कर्मचारियों को कुछ रियायत दिखाई गई थी, तो भी यह भविष्य में रोजगार चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को पात्रता मानदंड से छूट का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। ***के.वी. राजालक्ष्मय्या सेट्टी बनाम मैसूर राज्य*** के मामले में रिपोर्ट के कण्डिका 12 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया था: (एआईआर पृ. 996)

> **"**12. मैसूर राज्य की ओर से प्रस्तुत कुछ तर्कों में कुछ बल है। हालाँकि, उन्हें परखना आवश्यक नहीं है क्योंकि हम अपीलकर्ताओं के तर्क को बनाए रखने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। निस्संदेह, पहले बैच के 41 व्यक्तियों और 63 व्यक्तियों के बैच के बाद आने वाले व्यक्तियों के बैचों को भी कुछ रियायत दी गई थी, लेकिन आखिरकार ये रियायतें थीं, न कि ऐसा कुछ जिसका वे अधिकार के रूप में दावा कर सकें। मैसूर राज्य ने 63 व्यक्तियों के इस बैच के प्रति कुछ उदारता दिखाई होगी, लेकिन हम उन्हें ऐसा करने का आदेश देने वाला परमादेश जारी नहीं कर सकते। कोई सेवा नियम नहीं था जिसका राज्य ने उल्लंघन किया हो, न ही राज्य ने सर्वेक्षकों से सहायक अभियंताओं के पद पर पदोन्नत किए गए व्यक्तियों के संबंध में कोई सिद्धांत विकसित किया था। विभिन्न बैचों के व्यक्तियों के प्रति दिखाई गई उदारता वास्तव में तदर्थ थी और हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि हमारे सामने मौजूद अपीलकर्ताओं के साथ किस तरह की, यदि कोई हो, तदर्थ रियायत दी जानी चाहिए।**"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण कि आयु मानदंड से छूट न देकर अपीलकर्ता ने द्वेषपूर्ण भेदभाव किया है, विधि की दृष्टि से स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है।

21. जहाँ तक उत्तरवादी-अधिकारियों को **उमादेवी (पूर्वोक्त)** के कण्डिका 53 के अनुसार याचियों को स्थायी आधार पर नियुक्त करने का निर्देश देने का प्रश्न है यह निर्देश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह निर्देश एक एकमुश्त उपाय के रूप में दिया गया था जिसे उक्त निर्णय की तारीख यानी 10 अप्रैल, 2006 से छह महीने के भीतर लिया जाना था। यहाँ तक कि अन्यथा, अनियमित नियुक्ति, जो अवैध नहीं है, को उस अवधि के भीतर नियमित किया जा सकता था। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्तागण की नियुक्ति अनियमित नहीं थी, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए थी और इस तरह, प्रतिवादिगण को याचिकाकर्तागण को स्थायी या आयु में छूट देने का कोई निर्देश इस

न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है। **उमादेवी (पूर्वोक्त)** में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया :

> "53.....इस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को एक एकमुश्त उपाय के रूप में ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जिन्होंने विधिवत् स्वीकृत पदों पर दस वर्ष या अधिक तक कार्य किया है (इसमें न्यायालयों या अधिकरणों के आदेशों के आधार पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है), की सेवाओं को नियमित करने के कदम उठाने चाहिए और आगे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों, जिन्हें भरने की आवश्यकता है, में नियमित भर्ती की जाए, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ अस्थायी कर्मचारियों या दैनिक वेतन भोगियों को अभी नियुक्त किया जा रहा है। यह प्रक्रिया इस तारीख से छह महीने के भीतर शुरू की जानी चाहिए....."

22. उपर्युक्त कारणों से और सभी आधारों पर विचार करने पर, अनुबंधित कर्मचारियों को आयु में छूट का लाभ प्रदान करने हेतु कोई नियम नहीं है और इस प्रकार, वर्तमान याचिकाकर्तागण, जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था (जिसे समय-समय पर नियम, 1988 के प्रावधानों के बाहर रहते हुए बढ़ाया गया), के मामले में आयु में छूट का लाभ देने के लिए कोई निर्देश पारित नहीं किया जा सकता है और न ही कोई रिट जारी की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपरोक्त के आधार पर, प्रस्तुत याचिका प्रारंभिक चरण में ही निराकृत किए जाने योग्य है और इसे प्रारंभिक चरण में ही खारिज किया जाता है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : ANKIT SHRIVAS